मैसेज बाक्स/स्पीड पोस्ट
दूरभाष सं0-: 0522-2720383-84
फैक्स नं0-0522-2720056

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रॉकः प्रचार/595(भाग-5)/2017- 1919 दिनॉक 07 - दिसम्बर, 2017

समस्त सं0 उपनिदेशक(प्र0/वि0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश।

"मूल्य समर्थन योजना" के अर्न्तगत कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु धान खरीद का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

शासन द्वारा धान क्रय में प्राप्त हो रही कतिपय शिकायतों के निवारण तथा राज्य सरकार द्वारा धान क्रय हेतु निर्धारित 50 लाख मी0टन लक्ष्य की प्राप्ति एवं ग्रास रूट लेवल तक कृषक बन्धुओं को योजना का लाभ पहुंचाने के लिये जिला प्रशासन का सक्रिय सहयोग लेकर 02 से 15 दिसम्बर, 2017 के मध्य एक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें धान क्रय योजना, क्रय केन्द्र आदि का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए मण्डी समितियों के सहयोग से मण्डियों, थाना, ब्लाक, तहसील व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर योजना के बड़े-बड़े बैनर लगवाये जायेगें, प्रचार तथा सभी सम्भव प्रयास कर कृषकों को धान क्रय योजना के बारे में ग्राम चौपालों व बैठकों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी बताया जायेगा। प्रत्येक धान क्रय केन्द्र को क्रियाशील कर सक्रिय रूप से अधिकाधिक धान क्रय करने का प्रयास किया जायेगा।"

उक्त बैनर के प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि कृषकों की जानकारी हेतु सूचना विभाग की अनुमोदित दर धनराशि रू0 15/- प्रति वर्ग फिट (समस्त करों सहित) की सीमा तक 10X5 फिट साइज में बैनर बनवाकर मण्डियों, कलेक्ट्रेट, थाना, ब्लाक, तहसील व अन्य सार्वजनिक स्थलों के उपयुक्त स्थान पर लगवाना तथा शासन की अपेक्षानुसार धान खरीद का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक कृषकगण लाभान्वित हो सकें। इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति एवं बजट स्वीकृति के अधिकार का प्रतिनिधायन सम्बन्धित उपनिदेशक(प्रशा0/विप0) को किया जाता है।

संलग्नकः यथोपरि।

(धीरज कुमार)
निदेशक

पृष्ठाकंन संख्या एवं दिनाँक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर निदेशक(प्रशासन), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ ।
6- सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, को मैसेज बोर्ड पर अपलोड कराने हेतु।

निदेशक 7/12.